न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
15/2022/प्रा.पत्र/2022	05.04.2022	11.05.2022

मदनलाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री कैलाश चन्द जैन पुत्र स्व. श्री प्रहलाद राय जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स कैलाश चन्द सुरेश चन्द जैन सुभाष बाजार टोंक निवासी वार्ड नं. 16 शार्गीद पेशा बडा कुऑ टोंक जिला टोंक
2–श्री राकेश कुमार पुत्र श्री नेमीचन्द प्रोपरायटर मैसर्स राकेश एण्ड सन्स 1/56, कनकपुरा इण्ड. एरिया जयपुर निवासी नैहरोली वालों की गली, काजी पाडा, बयाना, भरतपुर राज.

...... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26की उप धारा (2) (ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार उपस्थित।

2–अप्राथी सं. 1 की ओर से उनके पुत्र श्री धर्मचन्द जैन व अप्रार्थी सं. 2 श्री राकेश कुमार उपस्थित।

:–निर्णय–: **दिनांक 11.05.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.01.2022 को समय बाद दोपहर 01:42 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स कैलाश चन्द सुरेश चन्द जैन सुभाष बाजार टोंक पर पहुंचा। वहॉ श्री कैलाश चन्द जैन पुत्र स्व. श्री प्रहलाद राय जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं उनसे परिचय लिया तथा पूछने पर श्री कैलाश चन्द जैन पुत्र स्व. श्री प्रहलाद राय जैन ने स्वयं को मैसर्स कैलाश चन्द सुरेश चन्द जैन सुभाष बाजार टोंक का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर आवेदक को खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में गुड, तेल, घी, मसाले आदि अन्य खाद्य पदार्थों के साथ **काला नमक सुमित ब्राण्ड (Black Salt Sumit Brand)** प्लास्टिक के कट्टे में 1–1 किलोग्राम के 50 नग पॉली पैक रखे हुये थे, जिसे देखने पर मानक स्तर का न होने का अंदेशा होने पर श्री कैलाश चन्द जैन को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर दोनों प्रतियों में विक्रेता श्री कैलाश चन्द जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **काला नमक सुमित ब्राण्ड (Black Salt Sumit Brand)** वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किए जा रहे हैं, 1–1 किलोग्राम के 4 नग पॉली पैक कुल 4 किलोग्राम खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद राशि देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा **काला नमक सुमित ब्राण्ड (Black Salt Sumit Brand)** 1–1 किलोग्राम के 4 नग पॉली पैक में से 1–1 किलोग्राम के एक–एक नग के नियमानुसार चार भाग तैयार कर चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2995 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता श्री कैलाश चन्द जैन तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप न. आई–2995 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येंक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक द्वारा मौके पर नमूना क्रय करते समय श्री कैलाश चन्द जैन पुत्र स्व. श्री प्रहलाद राय जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स कैलाश चन्द सुरेश चन्द जैन सुभाष बाजार टोंक ने मैसर्स राकेश एण्ड सन्स 1/56, कनकपुरा इण्ड. एरिया जयपुर का वारन्टी बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

वारंटी व निर्माता होने के कारण आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रबंधक मैसर्स राकेश एण्ड सन्स 1/56, कनकपुरा इण्ड. एरिया जयपुर को पत्र प्रेषित कर फार्म नं. 5 ए की सूचना व आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने बाबत् पत्र प्रेषित किया। जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने डाक द्वारा अपनी फर्म के दस्तावेज के खाद्य अनुज्ञा पत्र, जीएसटी रजि. व आधार कार्ड की छायाप्रति प्रेषित की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/239 दिनांक 02.02.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/14/एक्ट/2022/27 दिनांक 06.01.2022 के अनुसार विक्रेता श्री कैलाश चन्द जैन से वास्ते मानक स्तर की जांच कराने हेतु क्रय किया गया **काला नमक सुमित ब्राण्ड (Black Salt Sumit Brand)** एफ.एस.एस.ए. की धारा **3(1)(zf)(C)(i)** का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** व **अवमानक**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

(Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** व **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का **काला नमक सुमित ब्राण्ड (Black Salt Sumit Brand)** विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की दण्डनीय धारा 51 व 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से उनके पुत्र श्री धर्मचन्द जैन तथा अप्रार्थी सं. 2 स्वयं उपस्थित हुए एवं जुर्म स्वीकार किया। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **काला नमक सुमित ब्राण्ड (Black Salt Sumit Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में स्तर **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** व **अवमानक (Sub-Standard)** का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **काला नमक सुमित ब्राण्ड (Black Salt Sumit Brand)** नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** व **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 52 के अन्तर्गत जुर्माना की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं.1 श्री कैलाश चन्द जैन पुत्र स्व. श्री प्रहलाद राय जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स कैलाश चन्द सुरेश चन्द जैन सुभाष बाजार टोंक निवासी वार्ड नं. 16 शार्गीद पेशा बडा कुआँ टोंक जिला टोंक पर शास्ति रूपये 25,000 (अक्षरे पच्चीस हजार रू0) तथा अप्रार्थी सं. 2 श्री राकेश कुमार पुत्र श्री नेमीचन्द प्रोपरायटर मैसर्स राकेश एण्ड सन्स 1/56, कनकपुरा इण्ड. एरिया जयपुर निवासी नैहरोली वालों की गली, काजी पाडा, बयाना, भरतपुर राज. पर शास्ति रूपये 50,000 (अक्षरे पचास हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 11.05.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशराम धानका)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक